

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

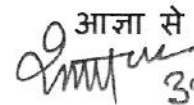
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 803 / 2019

दिनांक : 30.03.2019

श्रीमती विनिता यादव (RJ0920), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, तालेड़ा (बून्दी) को दिनांक 01.04.2019 से 27.09.2019 तक 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दिनांक 31.03.2019 एवं 28.09.2019 से 29.09.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री हेमन्त जानू (RJ0879), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, तालेड़ा (बून्दी) को श्रीमती विनिता यादव के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, तालेड़ा (बून्दी) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

- (1) ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।
- (2) श्री हेमन्त जानू (RJ0879), जिनको सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, तालेड़ा (बून्दी) के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है ।

आज्ञा से
 30.3.19

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/91/2015/ 3130

दिनांक 30.03.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी को उनके पत्रांक 472 दिनांक 18.03.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती विनिता यादव (RJ0920), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, तालेड़ा (बून्दी) ।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, तालेड़ा (बून्दी) ।
5. श्री हेमन्त जानू (RJ0879), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, तालेड़ा (बून्दी) ।
6. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, तालेड़ा (बून्दी) ।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।

 30.3.2019
सहायक रजिस्ट्रार